विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/ केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री एवं माल कर तथा रॉयल्टी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित ₹330.87 करोड़ के राजस्व निहितार्थ दो विषयक लेखापरीक्षाएं तथा 23 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

I सामान्य

वर्ष 2017-18 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के दौरान ₹26,264.34 करोड़ की तुलना में ₹27,367.06 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 हेतु कुल ₹27,367.06 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में से, 35 *प्रतिशत* प्राप्तियां कर राजस्व (₹7,107.67 करोड़) तथा गैर-कर राजस्व (₹2,363.85 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 65 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹4,801.31 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹13,094.23 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की गई। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में ₹1,102.72 करोड़ की वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 178 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच संचालित की गई जिसमें अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि के कुल ₹490.09 करोड़ के 863 मामले उद्घाटित हुए। वर्ष 2017-18 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने 317 मामलों में ₹13.61 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया इसमें से 298 मामलों में ₹4.16 करोड़ की राशि वसूल की गई, उसमे से 296 मामलों में ₹4.15 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे एवं दो मामलों में ₹0.01 करोड़ की राशि वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

(परिच्छेद 1.10)

II बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

सरकार/विभाग वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु इसकी तैयारी में तत्पर थे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुमोदित आदर्श कानून के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियमन के संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर 1 जुलाई 2017 से नियमों/विनियमों में बारम्बार परिवर्तन किए गए थे। करदाताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण रिटर्नों का फाईल करना स्थगित कर दिया था। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क रिटर्न फाईल करने से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्रोद्यौगिकी हल प्रदान करने योग्य नहीं था। राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान को लागू करने में पंगु थी क्योंकि इन मामलों में इसकी सीमित भूमिका थी। वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित गति सहित एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली की प्रकल्पना आवश्यक है। विभाग को पिछले मुद्दे जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवाकर मामलों का निर्धारण, बकाया वसूली तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुलझाने की आवश्यकता है। पूर्व वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के प्रतिदायों के लिए आवेदन करने हेतु व्यापारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 2.3)

विभाग ने उन व्यापारियों को रियायत दर पर कर अनुमत किया जिन्होंने निर्धारित सीमा में हिमाचल वासियों को नौकरी में नहीं रखा तथा अपात्र व्यापारियों को जिनका सामान नकारात्मक सूची के अंतर्गत आता है पर कर की गलत दर को लागू किया। घोषणा फार्म जमा न करने पर भी रियायत प्रदान की गई। विभाग में पर्याप्त विस्तार हेतु व्यापारियों को रियायत प्रदान करने की समीक्षा तथा सत्यापन हेतु कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्म का सत्यापन नहीं किया तथा दोषपूर्ण/अपात्र फार्मों को स्वीकार किया एवं कर की रियायत दर अनुमत की।

(परिच्छेद 2.4)

अनुश्रवण के अभाव, विस्तृत डाटाबेस के अनुरक्षण न करने तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया। व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब तथा फर्मों/व्यापारियों के प्रति अधिनियमों/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई क्योंकि व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया। पंजीकरण के समय व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत को प्राप्त न करने, प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विलम्बित निर्धारण के परिणामस्वरूप बकायों का संचय हुआ। जब्त सम्पति को नीलाम नहीं किया था। जमानत से सम्बन्धित मामलों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप देय आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई। प्रावधानों के विपरीत चूककर्ताओं को टोल पट्टा के अनियमित आवंटन ने देयों की अवसूली को बढ़ावा दिया।

(परिच्छेद 2.5)

निर्धारण प्राधिकारियों ने अंतशेष/कर मुक्त सामान की बिक्री/ शाखा हस्तांतरण को ध्यान में रखे बिना 160 मामलों में 138 व्यापारियों को निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 से 2015-16 की कर अवधि हेतु ₹7.01 करोड़ की कर देयता स्थगित हुई।

(परिच्छेद 2.6)

23 मामलों में 11 व्यापारियों की 2009-10 से 2015-16 की कर अवधि हेतु निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने प्रयोज्य दर पांच से 13.75 *प्रतिशत* के बदले कर की गलत दर चार से पांच *प्रतिशत* प्रयुक्त की जिसके परिणामस्वरूप ₹11.56 करोड़ के कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज के ₹5.73 करोड़ भी उद्ग्राहय थे।

(परिच्छेद 2.7)

वर्ष 2007-08 से 2014-15 हेतु निर्धारण प्राधिकारियों ने 44 मामलों में 37 व्यापारियों की सकल बिक्री/कर योग्य कुल बिक्री को वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा कम पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹5.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई, इसके अतिरिक्त, ₹4.61 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(परिच्छेद 2.8)

28 मामलों में 26 व्यापारियों जिन्होनें 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि के दौरान उनकी बिक्री एवं अंत शेष स्टॉक को कम करके बताया था, उनके निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रति-जांच नहीं की तथा उनके वार्षिक लेखाओं का उनकी वार्षिक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किया। बुनियादी जांच को करने में विफलता के परिणामत: ₹1.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹71.35 लाख का ब्याज वसूल नहीं किया था तथा निर्धारित दर पर शास्ति भी वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 2.9)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु चुने गए तीन जिलों बिलासपुर, कागंड़ा एवं मण्डी में पंजीकृत 28 केबल आपरेटरों में से किसी से भी मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹3.78 करोड़ का राजस्व छोड़ा गया।

(परिच्छेद 2.12)

III राज्य आबकारी

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 49 लाइसेंसधारियों से ₹38.90 करोड़ की कम जमा लाईसेंस फीस वसूलने या बिक्री केन्द्रों (शराब की दुकानों) को सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि इन बिक्री केन्द्रों के लाईसेंसधारी अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक मासिक किश्तों का भुगतान करने में दोषी थे।

(परिच्छेद 3.3)

विभाग ने 561 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गांरटीड कोटा के प्रति 40,58,893 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹12.74 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम गांरटिड कोटा के 80 *प्रतिशत* तक कम उठाने पर ₹1.81 करोड़ शास्ति के भी उद्ग्रहण योग्य थे।

(परिच्छेद 3.4)

विभाग ने 156 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से वर्ष 2016-17 में लाईसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/ फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान विलम्ब से किए जाने पर ₹3.77 करोड़ की ब्याज की राशि को वसूल करने के लिए कोई मांग नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

IV स्टाम्प शुल्क

नवम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य पंजीकृत 358 बिक्री विलेखों के प्रति उप पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित ढ़ाचों के लिए पूर्व संशोधित बाजार दरों को अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.64 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.3)

13 उप-पंजीयकों ने बिक्री विलेखों के पंजीकरण के समय क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किए गए शपथ पत्र के आधार पर भूमि का गलत मूल्यांकन किया, परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

पट्टा किराया जिसे प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार भूमि के प्रचलित बाजारी मूल्य के पांच *प्रतिशत* की दर से संशोधित किया जाना था, उसे विभाग ने संशोधित नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹3.59 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.5)

V वाहन, माल एवं यात्री कर

परिवहन विभाग ने विशेष पथ कर की राशि ₹23.38 करोड़ की मांग नहीं की जो कि 2016-17 की अवधि हेतु जारी किये गए रूट परमिटों के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी स्टेज कैरिजों से वसूली योग्य थी।

(परिच्छेद 5.3)

परिवहन विभाग ने 2015-16 से 2016-17 के वर्षों हेतु 16,588 व्यावसायिक वाहनों से वसूली योग्य सांकेतिक कर ₹8.50 करोड़ की न तो मांग की और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप सांकेतिक कर की उस सीमा तक वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.4)

आबकारी विभाग ने 2015-16 से 2016-17 तक की अवधि हेतु 2,320 व्यावसायिक वाहन मालिकों से यात्री एवं माल कर के ₹1.74 करोड़ की राशि की मांग नहीं की और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों ने कर का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.5)

सम्बद्ध क्षेत्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के मध्य समन्वय के अभाव के कारण व्यावसायिक वाहन मालिकों ने आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के पास अपने वाहनों को पंजीकृत नहीं करवाया था, जो कि 2015-16 एवं 2016-17 के मध्य क्षेत्रीय लाईंसेंसिग प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.23 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 5.6)

VI वन प्राप्तियां

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 225.916 घनमीटर जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा इमारती लकड़ी की निगरानी एवं इसके खराब होने पर भी व्यय हुआ।

(परिच्छेद 6.3)

विभाग ने वर्ष 2014 एवं 2015 के नि:स्त्रवण मौसम के दौरान 1,22,618 वृक्षों को गणना हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को नहीं सौंपा, जिसके परिणामस्वरूप ₹82.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.4)

विभाग ने 62 इमारती लकड़ी के लॉट्स को दोहनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड को सौंपा जिन्हें पट्टावधि के दौरान दोहन नहीं किया था जिसके लिए ₹29.86 लाख की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 6.5)